न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 79/2014

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. हरदेव पुत्र रिदा
   जाति-बावरी,निवासी-डिगरना
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. तहसीलदार, जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.25/03/2014

उपस्थितः- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/12/2015

वकील गय वादी ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में स्थिति कृषि भूमि ख0नं0 1175/691 रकबा 14-07 बीघा किस्म बारानी प्रथम वादी को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24/04/1976 को आवंटन हुई। वादी के नाम उक्त कृषि भूमि रेवेन्यू एजेन्सी ने जरिये नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 25.04.1976 को ख0न0 1175/691 रकबा 14-07 बीघा भूमि बतौर गैरखातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर मौके पर वादी को कब्जा सुपूर्द किया। जो वादी द्वारा प्रस्तुत म्यूटेशन संख्या 341 तथा जमाबन्दी संवत 2032 से 2035,2036 से 2039 व 2041से 2044 तथा वर्तमान जमाबन्दी से साबित है। नकल म्यूटेशन व जमाबन्दीयां वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त कृषि भूमि का वादी जमाबन्दी में बतौर गैरखातेदार दर्ज है। उक्त भूमि में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने बाबत् एक प्रार्थना पत्र भी प्रतिवादी को दिनांक 22/01/2013 को दिया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा जॉच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गये। परन्तु प्रतिवादी के अधिनस्थ रेवेन्यू एजेन्सी पटवारी, आर0आई0 ने आज दिन तक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया। वादी का नाम उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं होने से वादी अपनी कृषि भूमि पर बैंक से ऋण नही ले सकता है व अपनी भूमि में कुँआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकता है व अन्य अनेको प्रकार की कठिनाईयाँ दिन प्रतिदिन पैदा हो रही है। यदि वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज रहता है तो वादी को अपने जायज हक व अधिकारों में महरूम रहना पड़ेगा। वादी को उक्त कृषि भूमि जब से राज्य सरकार द्वारा आवंटन हुई तक से भू आंवटन नियमों का पूर्ण पालन किया है तथा पिछले 36 वर्षो से निरन्तर रूप से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा होने से खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। वादी ने प्रतिवादी व उनके अधिनस्थ रेवेन्यू एजेन्सी को दिनांक 13/03/2014 को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने हेतु कहा तो ईन्कार हुए एवं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा व वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने पर उक्त वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है। विनाय वाद दिनांक 13.03.2014 को वादी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करवाने हेतु कहा तो इन्कार होने एवं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहने तथा बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम डिगरना तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है।

इस प्रकार वकील वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर वादी को उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनरा वास्ते जबाबदावा तलब किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। प्रति0 की ओर से दिनांक 15/05/2015 को जबाबदावा पेश कर पद संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया हैं। पद संख्या 3 से 7 में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा सिद्ध किये जाने तथा साबित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाबदावा में अंकित किया हैं कि वादी गैरखातेदार के रूप में दर्ज हैं, हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार वादी गत 20-30 वर्षो से काश्त कर रहा हैं तथा 14(4) का प्रकरण बनाकर नहीं भिजवाया। इस वर्ष जिन्स मूंग की फसल बुवाई करना बताया हैं। जबाबदावा सा0मि0 किया गया हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने हस्ब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं जबाबदावा बखूबी साबित होने से वाद मापिक ईश्तदुआ दावा डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं, जिस पर प्रति0 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण ने कोई आपति व्यक्त नहीं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, जबाबदावा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात यथा ना0सं0 341, जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 एवं सम्वत् 2032-35, सम्वत् 2036-39 तथा 2041-44 एवं जबाबदावा मय मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मौका रिपोर्टानुसार सिद्ध प्रथम दृष्टया होता हैं कि वादी गत 20-30 वर्षो से काश्त करता हैं, इस वर्ष जिन्स मूंग की फसल भी बोई हुई हैं तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध कोई 14(4) का प्रकरण नहीं भिजवाया गया हैं। जिससे वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाना कि विवादित भूमि से सम्बद्ध समस्त राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर वादी के कब्जे काश्त एवं आवंटन शर्तो की पालना आदि से सम्बन्धी सम्पूर्ण रूप से जांच करके वादी को गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार दिये जाने की विधिसम्मत कार्यवाही की जावें।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि सरहद मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में स्थिति कृषि भूमि ख0नं0 1175/691 रकबा 14-07 बीघा किस्म बारानी प्रथम की विवादित भूमि से सम्बद्ध समस्त राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर वादी के कब्जे काश्त एवं आवंटन शर्तो की पालना आदि सम्बन्धी सम्पूर्ण रूप से जांच करके वादी को गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार दिये जाने की विधिसम्मत कार्यवाही की जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/12/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

वादी	प्रतिवादी
1. हरदेव पुत्र रिदा जाति-बावरी,निवासी-डिगरना तहसील-जैतारण, जिला-पाली	1. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0ःरा0वा0 स0ः79/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-......... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि सरहद मौजा-डिगरना, तहसील-जैतारण में स्थिति कृषि भूमि ख0नं0 1175/691 रकबा 14-07 बीघा किस्म बारानी प्रथम की विवादित भूमि से सम्बद्ध समस्त राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर वादी के कब्जे काश्त एवं आवंटन शर्तो की पालना आदि सम्बन्धी सम्पूर्ण रूप से जांच करके वादी को गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार दिये जाने की विधिसम्मत कार्यवाही की जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/12/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	5=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	9=00	मिजानः-	---NIL---

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner